<u>विशाखपट्टणम पोर्ट कर्मचारी (प्राधिकृत पायलेट का) विनियम, 1964</u>

...

जी.एस.आर. 326 --- महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की (1963 की 38) धारा 24 (i), धारा 28 के साथ पठित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंद्र सरकार ने निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात :

1. <u>लघु शीर्ष और प्रारंभ :</u> (1) ये विनियम विशाखपट्टण्म पोर्ट कर्मचारी (प्राधिकृत पालेट का) विनियम, 1964 कहे जायेंगे ।

   ये वर्ष 1964 की 29 फरवरी से लागू होंगे ।

2. <u>प्रयुक्ति :</u> ये विनियम यदि पूर्वापरि नहीं अन्य प्रकार की आवश्यकता है :

   (i) '' मंडल '', '' अध्यक्ष '' , '' उपाध्यक्ष '' का वहीं अर्थ होगा जो महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 में नियत है ।

   (ii) पायलटेज जल का अर्थ प्रवेश चैनल बोयस् के पूर्व 4 केबल तक और बंदरगाह के अंदर सभी नौचालन जलमार्ग ।

   (iii) '' उप संरक्षक '' का अर्थ जिसमें पायलटेज की दिशा और प्रबंधन निहित अधिकारी है ।

   (iv) '' पोर्ट '' का अर्थ विशाखपट्टणम पोर्ट है ।

3. पायलेटों पर उप संरक्षक का नियंत्रण :- पोर्ट में किसी भी घाट में हालंकि मूरिंग या बर्थिंग या बिना बर्थिंग जलयानों का प्रवेश या छोड़ते पायलेटों पर पायलटेज प्रभारों पर उप संरक्षक का नियंत्रण होगा ।

4. लाईसेंस प्राप्त पायलटें : (1) विशाखपट्टणम पोर्ट में पायलेट सेवा करने के लिए सभी पायलटों को लाईसेंस का प्रबंध करना होगा । बशर्ते कि ये लाईसेंस केंद्र सरकार के मंजूरी पर ये लाईसेंस जारी किए जाएंगे और वह बोर्ड द्वारा प्रतिसंहारण किया जाएगा ।
   (2) बोर्ड के साथ सेवा करनेवाले पायलेट के संबंध में अपना लाईसेंस तुरंत बोर्ड को देना होगा ।

(5) पायलेट सेवा में शामिल होने के लिए शर्तों : एक व्यक्ति तब तक पायलेट के रूप में लाईसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक वह बोर्ड को संतुष्ट करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा ।

   (ए) विशाखपट्टणम पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम 1964 के विनियम 14 (बी) और 14 (सी) में रखा गया पात्रता की शर्तों ।

   (बी) एक परिवीक्षार्थि पायलेट के रूप में नियुक्ति तिथि पर जब तक वह 24 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक आयु नहीं होना चाहिए अन्यथा बोर्ड द्वारा छूट दिया जाए ।

   (सी) वह नीचे दिये गये विनियम 6 में बताये गये योग्यता प्राप्त होना चाहिए ।

अभ्यर्थि की योग्यताएं -

1. पायलेटज लाईसेंस के लिए अभ्यर्थि को :

(ए) अच्छे चरित्र और संयम के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें और भारत सरकार या उसके समान द्वारा दी गई मास्टर (विदेशी जा रही) के रूप में योग्यता के प्रमाण पत्र रहें और अधिमानत: विदेश पर फस्ट मेट जा रही जहाज में कम से कम छह महीने अनुभव होना चाहिए ।

(बी) इस कार्य के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित जैसे चिकित्स प्राधिकार से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रदान करना चाहिए ।

(सी) बोर्ड अन्यथा जब तक कि, कम से कम 6 महीने की परिवीक्षा प्रशशिक्ष्ण अवधि का निर्धारण नहीं करती । प्रशिक्षण समाप्त होने पर, यदि परिवीक्षार्थि, उप संरक्षक द्वारा सिफारिश किया गया है, तो पायलेट जहाजों के लिए अपनी योग्यता के रूप में जांच के लिए आवेदन किया जा सकता है ।

2. पायलेट लाईसेंस के लिए शुल्क समय समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

7. परीक्षा के लिए विषय : परीक्षा में निम्नांकित विषय शामिल किया जाएगा :

इस संबंध में परीक्ष समिति द्वारा निर्धारित सभी शर्तों और ऐसे अन्य विषयों के तहत एक जहाज को संभालने के लिए पोर्ट में नौचालन के लिए रखा गया विनियम और नियम; किसी भी दो स्थानों के बीच पाठ्यक्रम और अंतर दूर; ज्वार का उत्थान और पतन; ध्वनि की गहराई और चरित्र; एंकरेज रॉक; शेल और अन्य खतरे, लेंड मार्क, बयोस् और बीकान तथा पोर्ट के अंदर रोशनी; जहाजों और स्टीमरों का प्रबंधन, उन्हें एंकर में कैसे लाया जाए और ज्वार में अपने एंकरों को साफ़ रखें; मूर और अनमूर तथा अंदर जाने के लिए;

8. परीक्षा समिति : बोर्ड द्वारा निर्धारित पद्धति में गठित परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो नीचे दिया गया :

(1) उप संरक्षक (अध्यक्ष)

(2) हार्बर मास्टर

(3) विदेशी जानेवाले जहाज मास्टर

9. परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफलता: एक परिवीक्षार्थी की नियुक्ति के नौ महीने के अंदर निर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण में असफल होने की स्थिति में, वह बरखस्त के लिए उत्तरदायी होगी ।

10. पायलेट के विशिष्ट ध्वज: प्रत्येक पायलेट को एक विशिष्ट ध्वज प्रदान किया जाएगा जिसे जहाजों पर फेहराना चाहिए जबकि इस तरह की स्थिति में और अपने प्रभार में अन्य संकेतों के अलावा जहॉ इसे देखा जा सकता है ।

जहॉ पायलेट बोर्ड पर होने से सिग्नल स्टेशन पर फेहराया गया वहीं ध्वज जहाज के साथ संपर्क रखने में उपयोग किया जाएगा ।

11. पायलेट प्राधिकार के आदेशों को पालन करने : पायलेट ने उप संरक्षक, बोर्ड द्वारा जारी सभी विधि आदेशों और विनियमों का अनुपालन और निष्पादन करना होगा ।

12. पायलेटों का व्यवहार : पायलेट हर समय सख्त संयम करना होगा । वह पूरे समय एक जहाज के प्रभारी होगा, उसकी सुरक्षा और अन्य जहाजों की सुरक्षा और संपदा के लिए उसकी देखभाल और परिश्रमिता का उपयोग करना होगा । जहाज समुद्र में रहते समय जब आवश्यक पडने पर वह आगे ले जाने के लिए नेतृत्व करना होगा । वह मालिक या कमांड अधिकारी से लिखित आदेश के बिना जहाज के चारों ओर नहीं रखना होगा ।

13. जहाज के मालिक के प्रति पायलेट का व्यवहार आदि : पायलेट अपने प्रभारी के तहत किसी भी जहाज के मालिक, मास्टर और अधिकारियों के प्रति उचित सभ्यता के साथ व्यवहार करना होगा ।

14. पायलेट उनके द्वारा किए गए सेवाओं का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए : पायलेट, ऑन बोर्डिंग में जहाज को, मास्टर को आगमन / प्रस्थान रिपोर्ट देने, जो उसके हस्ताक्षर पर सभी आवश्यक विवरण देना होगा ।

पायलेट द्वारा परिवहन और एंकरिंग प्रमाण पत्र भर दिए जाएंगे और जबकि पायलेट के कार्य पूरा होने पर मास्टर के हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करना होगा ।

15. पायलेट सही समय में बोर्ड जहाजों पर जाने के लिए : पायलेट जो जहाज से बाहर निकलता है, या जो बर्थ में रखने वाला है, उसे बोर्ड पर ले जाना होगा और खुद को कमांड अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा, उस समय नियुक्त अर्थात उसे समुद्र या लक्ष्य के लिए पार्यप्त समय में बाहर जाने के लिए ।

16. पायलेट जब ड्यूटी में रहते हैं तब लाईसेंस, आदि उनके साथ में लेके जाना है : पायलेट जब ड्यूटी में रहते हैं तब पोर्ट के लिए कार्यलयीन समय सारणी होगा, समय लागू होने के लिए पोर्ट नियम, पायलेटेज़ विनियम और उनके लाईसेंस की प्रति हमेशा उसके पास होना चाहिए ।

17. पायलेट बंदरगाह में एंकर पर जहाजों को पायलेट पट्टे पर ले सकता है, यदि आवश्यक भोजन और सोने के आवास प्रबंध नहीं किया जाता है तो: यदि आवश्यकता है तो, पायलेट उचित आवास का प्रबंध कर सकता है, और सुबह 7.00 बजे और 9.00 बजे के बीच अल्पाहार के साथ दोपहर और 2.00 बजे के बीच भोजन के साथ और शाम 6.00 बजे और रात 8.00 बजे के बीच (आई.एस.टी.) रात का भोजन के साथ आपूर्ती की जाएगी, ऐसा न होने पर पायलेट द्वारा छोडे गए किसी भी भोजन के लिए क्षतिपूर्ती अर्थात रू. 3/- का भगुमान मास्टर से करना होगा ।

18. पायलेट यह देखें कि एंकर जाने के लिए तैयार है : पायलेट, जहाज का प्रभार लेने से पहले जहाज के मास्टर से यदि स्टीयरिंग गेयर जुड़ा हुआ है और उचित रूप से कार्य करते हैं तथा दोनों एंकर जाने के लिए तैयार हुआ है का आदेश मिलने से ही बाहर की ओर जा सकेगा ।

19. पायलेट सबूत दे रहे हैं : पायलेट किसी भी ट्राईल या जॉच पर सबूत देने के लिए उपस्थित नहीं होगा, जो उप संरक्षक की अनुमति के बिना सबूत दिलाने के तहत वह पक्ष नहीं, और पायलेट इस तथ्य रिपोर्ट उप संरक्षक को लिखित रूप में देते हुए एक बार सबूत दिला सकता है ।

20. पायलेट नौचालन मार्क, आदि में कोई भी परिवर्तन की सूचना देते है : पायलेट जिसने चैनलों की गहराई में कोई परिवर्तन देखा है या कोई भी बॉयस्, बिकान्स या हल्का जहाजों को झुक गया हो, टूट गया हो, क्षतिग्रस्त हो गया हो या स्थिति से शिफ्ट किया गया हो, या काई भी परिस्थितियों से अवगत हो जाएं कि नौचालन की सुरक्षा को प्रभावित करने की संभावना है, तत्काल उप संरक्षक को लिखित रूप में विस्तृत रिपोर्ट भेजना होगा ।

21. पायलेट रिपोर्ट करने के लिए कारण : पायलेट जब कि उनके प्रभार में रहे जहाज द्वारा कोई भी दुर्घटना हुआ है या उसके कारण, जल्दी से जल्दी, उप संरक्षक को अनुमोदित फार्म में तथ्यों को लिखित रूप में रिपोर्ट करें ।

22. उप संरक्षक को जहाजों पर पायलेटों की नियमिति उपस्थिति : उप संरक्षक द्वारा ऑन शोर ड्यूटी पर पायलेटों, जहाजों पर उनकी आवश्यकता सेवाओं की विस्तृत जानकारी और रोटेशन सूची में दिखाया जाएगा (संबंधित वर्गों के बारे में) जिसमें पायलेट को ऐसे जहाजाेंं को आबंटित किया जाना है, ये सब उप संरक्षक के कार्यलय में रखा जाएगा ।

23. पायलेट के बाहरी ड्यूटी का प्रारंभ : बाहर जाने जहाज के संबंध में पायलेट जहाज पर चढने के ड्यूटी पर किसी भी वार्फ, पेयर, बर्थ, जेट्टी या एंकरेज़ से शुरू हो जाएंगे ।

24. पायलेट के बाहरी ड्यूटी रद्ध हो जाएगा : बाहर जानेवाले जहाज के संबंध में पायलेट का ड्यूटी : जब वह जहाज को अनिवार्य पायलेटेज़ पानी सीमा तक पायलेट कर लेता है तो समाप्त हो जाएगा ।

25. पायलेट के आंतरिक ड्यूटी प्रारंभ होगा : अंदर आनेवाले जहाजों की संबंध में पायलेट के ड्यूटी तब प्रारंभ होगा जब पोर्ट के अनिवार्य सीमा में जहाज प्रवेश करता है ।

26 . पायलेट, जहाज पर चढ़ने पर -

ए) यात्रा के या बोर्ड पर किसी औपसर्गिक बीमारी के दौरान, यह सुनिश्चित करें । अगर यह है और संगरोध नियम में निर्धारित प्राकृतिक गंभीर बीमारी है तो, वह जहाज को एंकर देगा, संगरोध सिग्नल फेहरायेगा और इस संबंध में पोर्ट संगरोध नियम में निहित अनुदेशों को पूरा करना होगा ।

बी) वर्तमान जहाज ड्राफ्ट को सुनिश्चित करें और देखें कि दोनों एंकरें जाने के लिए स्पष्ट है ; देखें कि राष्ट्रीय डिज़ाईन को फेहराया गया है और समय समय पर पोर्ट के नियमों के अनुसार जहाज के नाम और किसी अन्य सिग्नल के नाम झंडे पर फेहराने से पोर्ट सिग्नल स्टेशन से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है ।

27. पायलेट के आंतरिक ड्यूटी समाप्ति होगा : किसी भी अंदर जानेवाली जहाज के संबंध में पायलेट के ड्यूटी किसी भी घाट, पेयर, बर्थ या जेट्टी या एंकरेज पर रद्ध कर दिया जाएगा जब जहाज सुरक्षित रूप से मूरिंग किया जाता है या उसमें एंकर लगाया जाता है ।

28. जहाजों को चलाना : पोर्ट के अंदर किसी भी जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई पायलेट आगे बढेगा या निर्देशित नहीं करेगा जब तक कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा न किया जाए ।

ए) यदि जहाज चल रहा है, मास्टर बोर्ड पर ही रहेगा ।

बी) यदि मास्टर प्रचालन समाप्त होने से पहले जहाज छोड देता है, तो पायलेट जहाज को इस तरह की सुरक्षित स्थिति में एंकर के लिए निर्देशित करेगा जैसे जहाज द्वारा आसानी से पहूँचा जा सकता है और जहाज मेटर रिर्टन आने तक आगे बढ़ने के लिए निर्देश नहीं देगा ।

सी) बोर्ड पर अधिकारियों और चालक दल की संख्या और आवश्यकता के अनुसार जो भी काम करने के लिए उपलब्ध संख्या पर्याप्त होगा और यदि बोर्डिंग पर पायलेट मानता है कि संख्या पर्याप्त नहीं है तो, वह पोर्ट नियमों पर मास्टर का ध्यान देने को कहेगा और आगे बढ़ने से इनकार करते हैं यदि मास्टर पहले अपने घोषणा हस्ताक्षर में स्पष्ट रूप से पूरी जिम्मेदारी मानता ।

<u>स्पष्टीकरण :</u> इन विनियमों में, अभिव्यक्ति '' मास्टर '' या अन्य अधिकारी पहले शामिल होगा, अपने कार्यालय के ड्यूटी को पूरा करने से सक्षम होने की स्थिति में मेटर के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा ।

29. लाईसेंस खोना : पायलेट अपना लाईसेंस खोने के तुरंत उप संरक्षक को जिस परिस्थितियों लाईसेंस को खो गया था इसके बारे में नोटिस दे सकता है, और उप संरक्षक तब तक संतुष्ट होगा जब तक वह पायलेट के दुर्व्यवहार के कारण खो गया था, बोर्ड द्वारा पायलेट को लंबित डूप्लिकेट लाईसेंस के अनुदान करते हुए अस्थाई लाईसेंस जारी करता है ।

30. पायलेटों से चार्ट की परीक्षा करना : पोर्ट की नवीनतम योजनाओं और पोर्ट से संबंधित अन्य सूचना की जांच करने के लिए सभी पायलेट उप संरक्षक के कार्यालय में अक्सर भाग लें ।

31. पायलेटों की वर्दी : पायलेट बोर्ड द्वारा निर्धारित वर्दी पहनना होगा ।

32. व्याख्या : इन नियमों की व्याख्या से संबंधित किसी भी प्रश्न उत्पन्न होता है, इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जो वही पर निर्णय लेगा ।

***